भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 325

05.02.2024 को उत्तर के लिए

वन्यजीव अभयारण्यों के लिए आवंटित की गई निधियां

325. श्रीमती चिंता अनुराधा :
श्री कुरुवा गोरांतला माधव :
श्री मद्दीला गुरुमूर्ति :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि संवितरित तथा उपयोग की गई है;

(ख) क्या सरकार की उक्त राज्य सहित देश में और अधिक राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण और संवर्धन की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार की कोंडाकारलावा आर्द्र भूमि को इसके अवक्रमण अथवा अतिक्रमण से बचाने के लिए इसे संरक्षित स्थल घोषित करने संबंधी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) यह मंत्रालय, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वन्यजीवों के प्रबंधन एवं उनके पर्यावासों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(ख) से (घ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्यों में संरक्षित क्षेत्रों को घोषित करने के लिए, जिनमें आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हैं, शक्तियां प्रदान की गई हैं।

******